>

Title: Need to set up a bench of Allahabad High Court in Meerut in Uttar Pradesh.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): आदरणीय सभापति जी, यह विषय मैं अनेक बार पहले भी इस सदन में उठा चुका हूँ, परन्तु मुझे उम्मीद है कि नई दृष्टि की नई सरकार आने के बाद शायद यह समस्या हल हो जाए।

महोदय, देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 45 लाख से भी ज़्यादा वादों में से लगभग एक चौथाई वाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय से संबंधित हैं। खंडपीठों तथा जजों की कम संख्या के परिणामस्वरूप जिस गति से उच्च न्यायालयों में इन वादों का निपटान हो पा रहा है, उससे इन वादों को निपटाने में सौ साल से भी अधिक का समय लगेगा। महोदय, एक पुरानी कहावत है कि justice delayed is justice denied. वाद के निर्णय में इतना विलंब किसी भी प्रकार से वादी के हित में नहीं है। इसके कारण से न्याय व्यवस्था से आम आदमी का विश्वास खत्म होता है तथा यह सस्ता, सुलभ तथा शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने की सरकार की नीति के भी विरुद्ध है। वर्षों तक वकीलों की फीस देने तथा इलाहाबाद आने-जाने तथा ठहरने- खाने का इंतज़ाम करने में ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के वादियों के खेत और मकान तक बिक जाते हैं।

महोदय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ मेरठ में स्थापित करने की मांग निरंतर उठाई जाती रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। मैं केवल मेरठ की बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी इस प्रकार की पीठ स्थापित की जाएँ ताकि सामान्य जन को सुलभ और सस्ता न्याय मिल सके। इसके लिए केन्द्र सरकार अपने स्तर पर पहल करे। मुझे उम्मीद है कि यह समस्या अवश्य हल होगी।